बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 4

सोमवार, तिथि 14 फाल्गुन, 1939 (श.) / 05 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	02
2.	वित्त विभाग	-	-	02
3.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	01
4.	सामान्य कल्याण विभाग	-	-	02
5.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	01
			कुल योग –	08

कितने सुरक्षाकर्मी प्रतिनियुक्त

20. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाकर्मी (पुलिस) प्रतिनियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन स्तरों के पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति से पुलिस इकाइयों की संख्या बल काफी कम हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी संख्या में आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. स्तर के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षाकर्मी (पुलिस) प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक पदाधिकारी के साथ कितने कितने पुलिस तैनात हैं?

बैंक से ऋण

21. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले किन्हीं भी कर्मियों को वेतन के विरुद्ध बैंकों से ऋण लिये जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो फिर नियोजित शिक्षकों को बैंक से ऋण लिये जाने में आ रही परेशानियों को सरकार किस प्रकार दूर करना चाहती है?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

22. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-1/चौकीदार/90-01/2014 गृ.आ 1896, पटना, दिनांक 05.03.2014 के आलोक में चौकीदारों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुत्र या आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्त करना है, जिस क्रम में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा 7 चौकीदारों के आश्रितों को नियुक्त किया गया तथा बैठक कर अन्य चौकीदारों के आश्रितों / पुत्रों को नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चौकिदारों के पुत्र / आश्रितों यथा रामतोष कुमार, गणेश प्रसाद यादव एवं प्रमोद कुमार को नियुक्ति पत्र नहीं दिये हैं, जबकि ये सभी उम्र, स्वैच्छिक योग्यता धारित बैठक की तिथि को करते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार सरकार के अवर सचिव के बारबार पत्रांक सं.-8841/09.11.17 तक पत्रांक सं.-625, दिनांक 23.01.18 स्मारित करने तथा दूरभाष पर वार्ता के बावजूद उक्त व्यक्तियों को चौकीदार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा। सरकार उच्च पदाधिकारी के आदेश एवं स्मारित करने के बावजूद पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भूमि का स्वामित्व नहीं

23. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में लगभग 25 लाख दलित परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, और वे नहर, बांध, सड़क के किनारे खुले में रहने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने का फैसला किया है लेकिन वास भूमि देने के बावजूद उसका स्वाभित्व उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वास भूमि का स्वाभित्व प्रदान करने के लिए आसान तरीके का इस्तेमाल कर उन्हें पर्चा उपलब्ध कराने और घर बनाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

पईन की उड़ाही

24. **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के नूरसराय प्रखंडान्तर्गत गोडिहा ग्राम से चरूईपर ग्राम की ओर पईन जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पईन में गाद भर जाने से पानी का निकास बाधित है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पईन पर स्थानीय पदाधिकारियों की मिली-भगत से मिट्टी भरकर सड़क बनाई जा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त पईन पर सड़क निर्माण हो जाने पर वर्षा का पानी एवं घर से निकला गंदा पानी का निकास हेतु अन्यत्र जगह खोजना पड़ेगा;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित पईन से वर्षा का पानी और घर से निकला गंदा पानी को निकास हेतु उक्त पईन की उड़ाही करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

योजना का लाभ

25. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री नि:शक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत नि:शक्त दम्पत्ति में एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50 हजार रुपये और दोनों के नि:शक्त होने पर 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत वर्ष 2017-18 में मात्र एक आवेदन प्राप्त हुआ है, वह भी अभी प्रक्रिया में ही है;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण योजना का लाभ सैकड़ों दिव्यांग दंपत्ति नहीं ले पाए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर योजना का लाभ नि:शक्त दम्पत्तियों को दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

थाना निर्माण की स्वीकृति

26. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला में मोहडा प्रखंड कार्यरत है लेकिन अभी तक थाना का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि थाना निर्माण हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, गया को भेजा गया है लेकिन प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजने के कारण कार्य बाधित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहडा (कजूर) थाना निर्माण की स्वीकृति देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

समिति को निर्देश

27. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालय/महविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगति के मामले पर विचार करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3549, दिनांक 26.04.2011 द्वारा श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1553, दिनांक 14.02.2014, 6513, दिनांक 22.07.2014 तथा पुन: 2054, दिनांक 02.03.2015 के द्वारा समिति को बार-बार पुनर्गठित किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि आज तक उक्त समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट वित्त विभाग को नहीं सौंपी गई है, जिससे इन शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की वेतन विसंगति का निराकरण संबंधी मामला लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपने हेतु समिति को निर्देश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 05 मार्च, 2018